न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–40/2016

वादीगण **बनाम** प्रतिवादीगण

वादीगण

1. खींयाराम पुत्र वेहनाराम
2. तेजाराम पुत्र वेहनाराम
3. गवरी पत्नी वेहनाराम
4. हेमाराम पुत्र पुनमाराम
5. हनुमान पुत्र पुनमाराम
6. रूगाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी नया खरंटिया व तिलोणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

प्रतिवादीगण

1. नरसींगा पुत्र पदमा
2. लाला पुत्र पदमा फौत के कायम मुकाम
   2/1 डालुराम पुत्र लालाराम
   2/2 दुर्गाराम पुत्र लालाराम
   2/3 पुरो पुत्री लालाराम(विलोपित)
   2/4 वरजू पुत्री लालाराम (विलोपित)
   2/5 नोजीदेवी पत्नी लालाराम
3. चुतरा पुत्र पदमा (फौत) के कायम मुकाम
   3/1 धनाराम पुत्र चुतराराम
   3/2 निम्बाराम पुत्र चुतराराम
   3/3 खींयाराम पुत्र चुतराराम
   3/4 पनाराम पुत्र चुतराराम
   3/5 नोजीदेवी पत्नी चुतराराम
4. लिछमण पुत्र सोना
5. नवला पुत्र सोना
6. चेनाराम पुत्र सोना
7. मूला पुत्र सोना
8. सुगनी पुत्री भूरा
9. कमला पुत्री भूरा
10. पेम्पो पुत्री भूरा
11. जेती पत्नी भूरा
12. तहसीलदार सिणधरी
13. स्टेट बैंक ऑफ [illegible] एण्ड जयपुर शाखा भूंका [illegible]सिंह
14. राजस्थान मरूधरा ग्रा[illegible] बैंक शाखा [illegible]वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री नारायण कुमावत वकील वादीगण।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

श्री बींजाराम गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3

पैरोकार सरकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 02.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त एवं पुस्तैनी सम्पति की भूमि खसरा संख्या 428 व 427 कुल रकबा 145.04 बीघा, ग्राम भूंका वगतसिंह से विभक्त होकर बने ग्राम तिलोणियों की ढाणी में खसरा संख्या 115 व 116 कुल रकबा 78.02 बीघा, खसरा संख्या 117, 154, 95 व 96 कुल रकबा 163.14 बीघा ग्राम खरंटिया से विभक्त होकर बने ग्राम नया खरंटिया तथा खसरा संख्या 174 व 180 कुल रकबा 82.08 बीघा भूमि ग्राम खरंटिया में अवस्थित है जिसमें से 0. 03 बीघा भूमि राज्य सरकार के हक में खसरा संख्या 174 में से समर्पित की गई थी। उक्त भूमि गिरधारी के तीन पुत्रों –वादीगण के पूर्वपुरूष पूनमा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वपुरूष पदमा एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पूर्वपुरूष सोना की संयुक्त हक एवं कब्जाकास्त की थी, वक्त बंदोबस्त, बंदोबस्त कर्मियों ने खसरा संख्या 427 व 428 का पर्चालगान गिरधारी के तीन पुत्रों के नाम से सही जारी किया, किन्तु खसरा संख्या 115, 174, 116 कुल रकबा 121.19 बीघा का पर्चालगान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता पदमा अकेले के नाम, इसी प्रकार खसरा संख्या 117 व 154 का पर्चालगान वादीगण के पूर्वपुरूष पूनमा अकेले के नाम तथा खसरा संख्या 96, 180 व 95 का पर्चालगान प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पूर्वपुरूष सोना अकेले के नाम दर्ज कर दिया। खसरा संख्या 427 व 428 में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 द्वारा अपना समग्र 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को हकतर्क कर दिया गया। इस प्रकार समर्पणसुदा 0.03 बीघा भूमि को छोड़कर समग्र वादग्रस्त भूमि पर तीनों थौक बहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अतः वादीगण ने समग्र वादग्रस्त भूमि में तीनों थौको की बहिस्सा बराबर खातेदारी घोषित करवाने, अपने 1/3 हिस्से की भूमि माफिक कब्जाकाश्त पृथक करवाने तथा अपने 1/3 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने और खसरा संख्या [illegible] कुल रकबा 145.04 बीघा में प्रतिवादी संख्या 8 वे 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] गए हकतर्क के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किए जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के बावजूद समन तामिल के अनुसार [illegible] उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवारी अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में वाद के तथ्यों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि गिरधारी के तीनों पुत्र बंदोबस्त पूर्व से ही पृथक–पृथक रहते थे और अपने–अपने कब्जाकाश्त के अनुसार प्रत्येक का पृथक–पृथक

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Sing
Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चालगान जारी हुआ था, किन्तु खसरा संख्या 427 व 428 की भूमि पर तीनों थोको का संयुक्त कब्जाकाश्त होने से उक्त भूमि का संयुक्त रूप से पर्चालगान जारी हुआ था। वादीगण की यह दलील गलत है कि समस्त वादगण भूमि संयुक्त कब्जाकाश्त की थी। जहां तक खसरा संख्या 427 व 428 में प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 द्वारा अपने हिस्से के किए गए हकतर्क का प्रश्न है, उक्त हकतर्क के आधार पर राजस्व रिकर्ड के इन्द्राजात दुरूस्त किए जाने में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त भूमि मौजा खरंटिया तहसील सिणधरी के खेतों की पैमाईश के समय खेत खसरा संख्या 115 रकबा 77.10 बीघा, खसरा संख्या 174 रकबा 43.17 बीघा, खसरा संख्या 116 रकबा 0.12 बीघा कुल रकबा 121.19 बीघा भूमि का गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता पदमा अकेले के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया है जिमसें 1/3 हिस्सा वादीगण, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। **जिम्मे–वादीगण**

2. आया वादग्रस्त भूमि मौजा खरंटिया तहसील सिणधरी के खेतों की पैमाईश के समय खेत खसरा संख्या 117 रकबा 48 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 50.14 बीघा कुल रकबा 98.14 बीघा भूमि का गलत रूप से वादीगण के पूर्वज पूनमा अकेले के नाम से जारी कर दिया गया है। जिसमे 1/3 हिस्सा वादीगण, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। **जिम्मे–वादीगण**

3. आया वादग्रस्त भूमि मौजा खरंटिया तहसील सिणधरी के खेतों की पैमाईश के समय खेत खसरा संख्या 96 रकबा 65.08 बीघा, खसरा संख्या 180 रकबा 38.11 बीघा, खसरा संख्या 95 रकवा 12 बिस्वा का गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 4 से 11 के पूर्वज सोना अकेले के नाम से जारी कर दिया गया है। जिसमें 1/3 हिस्सा वादीगण, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। **जिम्मे–वादीगण**

4. आया वादग्रसत भूमि में वादीगण बतौर खातेदारी घोषणा के हिस्सेनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा मंगवाने की हकदार है। **जिम्मे–वादीगण**

5. आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है। **जिम्मे–वादीगण**

6. आया वादग्रसत भूमि मौजा तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 428 रकबा 144.15, खसरा संख्या 427 रकबा 09 बिस्वा में राजस्व रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्राज गलत 13/15 हिस्सा का 1/3 हिस्सा दुरूस्त किया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा की खातेदारी का हकदार है।

जिम्मे–वादीगण

7. आया वादग्रसत भूमि मौजा तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 428 रकबा 144.15 बीघा, खसरा संख्या 427 रकबा 9 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 के द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में हकतर्क करने से वक्त नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा भी कम कर दिया जो दुरूस्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की जाए।

जिम्मे– प्रतिवादी संख्या 1 से 3

8. दादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त से अलग–अलग पर्चा लगान जारी होने से एवं वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 1 से 3

वादी की और से मौखिक साक्ष्य में खींयाराम पी.डब्लू–01, हेमाराम पी.डब्लू–02, वालाराम पी.डब्लू–03 व पूनमाराम पी.डब्लू–04 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श 1 प्रथम जमाबंदी ग्राम मूंकापाना बगतसिंह, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 ग्राम भूकापाना बगतसिंह, प्रदर्श 3 नामांतरण संख्या 227 ग्राम भूकापाना बगतसिंह, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 ग्राम भूकाबगतसिंह, प्रदर्श 5 नामांतरण संख्या 4 से 26, प्रदर्श जमाबंदी संवत् 2044 से 2047 प्रदर्श 7 नामांतरण सख्या 531 ग्राम भूकाबगतसिंह, प्रदर्श 8 जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 ग्राम घांचीड़ा, प्रदर्श 9 नामांतरण संख्या 7 ग्राम घांचीड़ा, प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 ग्राम घांचीड़ा, प्रदर्श 11 नामांतरण संख्या 79 ग्राम घांचीडा, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 ग्राम घांचीड़ा, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 ग्राम तिलाणियों की ढाणी, प्रदर्श 14 प्रथम जमाबंदी ग्राम खरटिया, प्रदर्श 15 जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 ग्राम खरटिया, प्रदर्श 16 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 17 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 ग्राम खरटिया, प्रदर्श 18 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 ग्राम खरंटिया (खसरा नं. 174), प्रदर्श 19 लठ्ठा देस नक्शा खसरा नं. 174 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 20 जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 ग्राम नया खरटिया, प्रदर्श 21 लठ्ठा टेस नक्शा खसरा नं. 115 और 116, प्रदर्श 22 नामांतरण संख्या [illegible] ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 23 नामांतरण संख्या 257 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 24 नामांतरण संख्या 298 [illegible] खरं[illegible] प्रदर्श 25 प्रथम जमाबंदी ग्राम खरटिया, प्रदर्श 26 जमाबंदी संवत् 2039 से 20[illegible] खरंटिया, प्रदर्श 27 जमाबंदी 2052–2055 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 28 जमाबंदी संवत् 2056–2059 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 29 जमाबंदी संवत् 2056–2069 खत्ता नं. 11[illegible] 154 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 30 जमाबंदी 2068–2071 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 31 जमाबंदी 2068–2071 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 32 म्युटेशन संख्या 151 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 33 नामांतरण संख्या 17 ग्राम नया खरटिया, प्रदर्श 34 नामांतरण संख्या 71 ग्राम नया खरंटिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

प्रदर्श 35 नामांतरण संख्या 84 ग्राम नया खरटिया, प्रदर्श 36 जमाबंदी संवत् 2039–2042 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 37 जमाबंदी संवत् 2052–2056 नया खरंटिया, प्रदर्श 38 जमाबंदी संवत् 2068–2071 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 39 जमाबंदी संवत् 2068–2071 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 40 जमाबंदी संवत् 2068–2071 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 41 लठ्ठा ट्रेस नक्शा ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 42 जमाबंदी संवत् 2068–2071 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 43 लठ्ठा देस नक्शा ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 44 नामांतरण संख्या 102 ग्राम नया खरंटिया, प्रदर्श 45 नामांतरण संख्या 108 ग्राम खरटिया, प्रदर्श 46 नामांतरण संख्या 148 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 47 नामांतरण संख्या 305 ग्राम खरंटिया, प्रदर्श 48 हकतर्कनामा पेश किए गए। प्रस्तुत किए गए। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से नरसिंगाराम डी.डब्लू–01, जुंझाराम डी.डब्लू–02, व पनालाल डी. डब्लू–03 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–1 से लगायत प्रदर्श डी–1 (B) तक प्रतिवादी की नरेगा योजनांतरगत निर्मित परिसम्पत्तियों की मौका फोटोग्राफ, प्रदर्श डी–2 परिसम्पत्तियां निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत खरंटिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श डी–3 जमाबंदी संवत् 2064–2067, प्रदर्श डी–4 जमाबंदी संवत् 2060–2063, प्रदर्श डी 5 जमाबंदी संवत् 2056–2059, प्रदर्श डी–6 जमाबंदी संवत् 2052–2055 प्रदर्श डी 7 जमाबंदी संवत् 2043–2046, प्रदर्श डी–8 जमाबंदी खाता संख्या 42 संवत् 2064–2067, प्रदर्श डी 9 जमाबंदी खाता संख्या 42 संवत् 2060–63, प्रदर्श डी–10 जमाबंदी खाता संख्या 34 संवत् 2056–2059, प्रदर्श डी 11 जमाबंदी खाता संख्या 33 संवत् 2052–2055, प्रदर्श डी–12 जमाबंदी खाता संख्या 52 संवत् 2043–2046, प्रदर्श डी–13 जमाबंदी खाता संख्या 51 संवत् 2039 2042 प्रदर्श डी 14 जमाबंदी खाता संख्या 51 संवत् 2032–2035, प्रदर्श डी 15 जमाबंदी खाता संख्या 43 संवत् 2028–2031, प्रदर्श डी–16 जमाबंदी खाता संख्या 38 संवत् 2024–2027, प्रदर्श डी–17 जमाबंदी खाता संख्या 44 संवत् 2020–2023, प्रदर्श डी–18 जमाबंदी खाता संख्या 26 संवत् 2013–16, प्रदर्श डी–19 खसरा गिरदावरी खाता संख्या 174 संवत् 2060–2063 प्रदर्श डी–20 खसरा गिरदावरी खाता संख्या 174 संवत् 2064–2067 प्रदर्श डी–21 खसरा गिरदावरी खाता संख्या 174 संवत् 2056–2059, प्रदर्श डी–22 खसरा गिरदावरी खाता संख्या 174 संवत् 2062–2055, प्रदर्श डी–23 खसरा गिरदावरी खाता संख्या 115/26. 116/27 संवत् 2048–2051 प्रदर्श डी–24 खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 115, 116 संवत् 2056–2059 प्रदर्श डी–25 खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 115, 116 संवत् 2064–67, प्रदर्श डी–26 खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 116 संवत् 2052–2055 प्रस्तुत किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त समग्र भूमि गिरधारी के तीनों पुत्रों– वादीगण के पूर्वपुरूष पूनमा, प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पूर्वपुरूष पदमा एवं प्रतिवादी सं. 4 से 11 के पूर्वपुरूष सोना– के संयुक्त कब्जा काश्त में होने तथा वर्तमान में भी तीनों थौकों का सयुंक्त कब्जाकाश्त होने के बावजूद

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बन्दोबस्त कर्मियों ने प्रत्येक थौक के नाम पृथक पृथक पर्चालगान जारी किया, जबकि प्रत्येक खसरे पर तीनों थौकों के पक्षकारों का संयुक्त रूप से आज तक कब्जाकाश्त एवं लगान आदि चला आ रहा है। अतः वादी समग्र वादग्रस्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा घोषित करवाने तथा खसरा संख्या 427 व 428 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 से 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम किए गए हकतर्क के आधार पर वागर नामांतरकरण में अशुद्ध हिस्सा स्थिति दर्ज किए जाने से उसे शुद्ध करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में खसरा संख्या 427 व 428 में वादीगण का 1/3 हिस्सा होने की दलील का समर्थन करते हुए अपना भी संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होना बताते हुए इसी अनुसार उक्त भूमि की हिस्सा स्थिति दुरूस्त करने का निवेदन किया है। किन्तु शेष समस्त वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक थौक का पृथक-पृथक कब्जा काश्त होना तथा माफिक कब्जाकाश्त सही रूप से पर्चालगान जारी होने का कथन करते हुए वादी का वाद खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया गया।

तनकी संख्या 1 से 3– तनकी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 115, 174 व 116, पदमा के नाम, खसरा संख्या 117 व 154 पूनमा के नाम तथा खसरा संख्या 96, 180 व 95 सोना के नाम वक्त बंदोबस्त दर्ज होने, किन्तु उक्त समग्र भूमि पर तीनों थौकों का बहिस्सा बराबर कब्जा होने के कारण तीनों थौकों को संयुक्त खातेदार घोषित करने के वादीगण के वादकथन से संबद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। कोई भी वाद मात्र कथन करने के आधार पर डिक्री योग्य नहीं होता है, वादी पक्षकार दायित्व है कि वह ठोस एवं अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए अपना दावा साबित करवाए, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने समग्र वादग्रस्त भूमि पर तीनों थौको का कब्जा होने के समर्थन में न तो उस समय की गिरदावरी, जो काश्त करने वाले के नाम से दर्ज होती थी, प्रस्तुत की है और न अन्य खसरों की लगान रसीदें ही प्रस्तुत की है। बंदोबस्त होने से लेकर आज तक की दीर्घावधि में इस दावे के अतिरिक्त किसी भी पक्ष द्वारा कोई उजरदारी पेश नहीं की गई हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन दो खसरों की भूमि वक्त बंदोबस्त तीनों थौकों के नाम दर्ज हुई है, वही भूमि संयुक्त खातेदारों की थी। शेष समस्त वादग्रस्त खसरे पृथक–पृथक [illegible] के अनुसार प्रत्येक थौक के नाम पृथक–पृथक दर्ज हुए थे। इस प्रकार वादीगण [illegible] भूमि तीनों थौकों की संयुक्त कब्जाकाश्त व हक की साबित करने में विफल रहे हैं। लिहाजा तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4– वादीगण की समस्त वादग्रस्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से के विभाजन इस्तदुआ से संबद्ध है। चूंकि जब वादी समग्र वादग्रस्त भूमि में अपना 1/3 हिस्सा साबित करने में विफल रहे है। अतः विभाजन का कोई प्रश्न ही नहीं है। लिहाजा तनकी संख्या 4 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

सहायक कलेक्टर
SDO सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 5– वादीगण के समग्र खसरों में 1/3 हिस्से के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति की इस्तदुआ से संबद्ध है। जैसाकि तनकी संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं को समग्र वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार घोषित किए जाने में विफल रहे है। अतः इस अनुसार उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना संभाव नहीं है। लिहाजा तनकी संख्या 5 भी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 6 व 7– मौजा तिलाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 427 व 428 में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भी 1/3 हिस्सा होने, किन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्सा त्रुटिपूर्ण दर्ज होने के कारण हिस्सा दुरूस्ती की इस्तदुआ से संबद्ध है। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादीगण का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 11 का था और पृथक–पृथक प्रतिवादी संख्या 4 से 7 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा था, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 8 से 11 में अपना समग्र 1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को हकतर्क कर दिया। इस प्रकार बाद हकतर्कनामा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 प्रत्येक का 1/15–1/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 2/15 हिस्सा, वादीगण का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा रहा। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दुरुस्ती किया जाना उचित है। लिहाजा तनकी संख्या 6 वादीगण के एवं तनकी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 8– वादग्रस्त भूमि का वक्त बंदोबस्त माफिक कब्जाकाश्त व हक पृथक–पृथक तीनों थौकों का उनके वास्तविक हकानुसार पृथक–पृथक पर्चालगान जारी होने से वादीगण का वाद काबिल खारिज होने के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के प्रतिकथन से संबद्ध है। जैसाकि तनकी संख्या 1 से 3 के विवेचन से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर गिरधारी के तीनों पुत्रों के परिवारों का कब्जा था उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि का पृथक–पृथक पर्चालगान जारी हुआ। वादीगण की और से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे समग्र वादग्रस्त भूमि पर तीनों थौको का संयुक्त रूप से 1/3–1/3 हिस्से पर कब्जाकाश्त रहा हो। इस प्रकार साक्ष्याभाव में वादीगण का संयुक्त कब्जाकाश्त संबंधी दावा काबिल खारिज है। लिहाजा तनकी संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी समग्र वादग्रस्त भूमि में ती[illegible] संयुक्त हक व कब्जाकाश्त को, साक्ष्यों के आधार पर साबित नहीं कर पाए है, किन्तु मौजा [illegible] की ढाणी खसरा संख्या 427 व 428 में उपर्युक्त विवेचनानुसार हिस्सा दुरुस्ती [illegible] उचित है।

लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 428 व 427 कुल रकबा 144.04 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा वादीगण की, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

वारिसान की, 3/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की तथा 2/15 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। वादीगण के वाद की शेष इस्तदुआ साबित नहीं होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:21:07 IST
Reason: SelfAttested